रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/ फाल्गुन 13, 1935
No. 76] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

भारतीय स्टेट बैंक
केंद्रीय (कारपोरेट) कार्यालय, मुंबई
अधिसूचना

मुंबई, 3 मार्च, 2014

फा. सं. विधि/एफ-207/2013.– केंद्रीय बोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के पश्चात् और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टेट बैंक साधारण (संशोधन) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में,--

(i) उपखंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(कक) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 में परिभाषित एक कंपनी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत निगमित कोई कारपोरेट निकाय अभिप्रेत है और जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इसके अंतर्गत सहकारी समिति सम्मिलित होगी ;';

(ii) उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ग) "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए या जारी किए गए विनियम या मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत हैं।' ।

3. मूल विनियम में, विनियम **3** के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"**3**क. अंश पूंजी--(**1**) भारतीय स्टेट बैंक की अंश पूंजी में साधारण पूंजी या साधारण अंश पूंजी और अधिमानी अंश पूंजी सम्मिलित होगी ।

(2) साधारण अंश पूंजी, अंश पूंजी का वह भाग होगी, जो अधिमानी अंश पूंजी न हो ।

(3) अधिमानी अंश पूंजी, अंश पूंजी का वह भाग होगी, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :--

(क) लाभांश के संबंध में, यह एक अधिमानी अधिकार से संदेय वह निश्चित रकम या एक ऐसी रकम होगी, जिसकी संगणना स्थायी या अस्थायी दर के आधार पर की गई हो, और जो आय-कर से मुक्त या आय-कर के अध्यधीन हो सकेगी; और

(ख) पूंजी के संबंध में, परिसमापन के समय यह पूंजी का प्रतिसंदाय करेगी या कर सकेगी, अधिमानी अंशों के मामले में यह समादत्त पूंजी या समादत्त मानी जाने वाली पूंजी के प्रतिसंदाय से संबंधित होगी, चाहे निम्नलिखित दोनों रकमों या दोनों में से किसी एक रकम के भुगतान के लिए अधिमानी अंश हों या न हों, अर्थात् :--

(i) समापन की तारीख तक या पूंजी के प्रतिसंदाय होने तक, खंड (क) में विनिर्दिष्ट की गई रकम के संबंध में असंदत्त शेष रकम, और

(ii) कोई नियत प्रीमियम या नियत स्केल से संबंधित प्रीमियम, जिसे केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

3ख. साधारण अंश या अधिमानी अंश के निर्गम द्वारा निर्गमित पूंजी को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया--साधारण अंश या अधिमानी अंश के निर्गम द्वारा निर्गमित पूंजी को बढ़ाने के लिए पूंजी के निर्गम संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सुसंगत विनियमों के सम्यक निर्देश से केंद्रीय बोर्ड द्वारा अवधारित की गई प्रक्रिया के अनुसार निर्गमित पूंजी बढ़ाई जा सकेगी :

परंतु अधिमानी अंशों का निर्गम रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ।

3ग. निर्गमित पूंजी के लिए रकम स्वीकार करने, अंशों की जब्ती और अंशों के पुन: निर्गमन की रीति--**(1)** केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा अंशधारकों से उन सभी रकम के संबंध में, जो उनके द्वारा धारित अंशों के संबंध में असंदत्त है, चाहे वह अंशों के अभिहित मूल्य के लेखे हों या प्रीमियम के रूप में हो, जिनका आबंटन की शर्त के आधार पर नियत समय पर भुगतान नहीं किया गया है, का भुगतान करने के लिए एक सूचना, जिसकी अवधि चौदह दिन से कम न हो, देकर समय-समय पर, ऐसी मांग की जा सकती है, जिसे वह उचित समझती हो और प्रत्येक अंशधारक द्वारा उसके संबंध में मांग की गई रकम का भुगतान केंद्रीय बोर्ड या कार्यपालिका समिति द्वारा नियत समय और स्थान पर या ऐसी अनुवर्ती तारीखों पर किया जाएगा। अंश से संबंधित मांग की बकाया रकम का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है और यह केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा संकल्प पारित करके प्राधिकृत पूर्ववर्ती तारीख से लागू होगी :

परंतु केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति अंशधारकों को लिखित सूचना द्वारा ऐसी मांग की रकम के भुगतान के लिए नियम समय से पहले भुगतान के लिए नियत समय को आगे बढ़ा सकेगी या बकाया रकम की मांग की सूचना को रद्द कर सकेगी ।

(2) यदि किसी मांग या किस्तों से संबंधित शोध्य रकम के भुगतान के लिए नियत दिन को या उससे पहले नहीं की जाती है, तो तत्समय अंशधारक या अंश के आबंटी, जिससे मांग की रकम की मांग की गई है या जिसकी ओर से किस्त का भुगतान किया जाना है, के द्वारा उक्त रकम पर ऐसी दर के आधार पर, जिसे केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए, उसका भुगतान करने की अवधि तक के ब्याज का भुगतान किया जाएगा, परंतु केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, उक्त ब्याज के भुगतान को संपूर्ण या आंशिक रूप से अधित्यजन कर सकेगी ।

(3)(क) यदि कोई अंशधारक किसी मांग की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग या किस्त का या किसी भी अंश से संबंधित किसी भी शोध्य रकम, चाहे वह मूल धन या ब्याज के रूप में हो, का भुगतान नियत दिन तक करने में असफल रहता है, तो स्टेट बैंक उसके पश्चात् किसी भी समय मांग या किस्त या उसके किसी भाग या अन्य किसी रकम की, जो असंदत्त बनी हुई है, ऐसे ब्याज के साथ, जो शोध्य हो चुका है, भुगतान की अपेक्षा करेगा, जब्ती की सूचना उक्त अंशधारक को या उस व्यक्ति को (यदि कोई हो) देगा, जो हस्तांतरण के द्वारा उक्त अंश का हकदार होता, जिसके द्वारा उक्त मांग या किस्त या उसके किसी भाग या अन्य कोई रकम, जो असंदत्त बनी हुई है, ऐसे ब्याज के साथ, जो शोध्य हो चुका है, भुगतान की अपेक्षा करेगा ।

(ख) जब्ती की सूचना में उस तारीख, जो सूचना की तारीख से चौदह दिन से अन्यून की होगी, समय और स्थान का, जहां उक्त असंदत्त मांग या किस्त या ब्याज का भुगतान किया जाना है, उल्लेख होगा और भुगतान की नियत तारीख तक शोध्य रकम का भुगतान न किए जाने की दशा में, ऐसे अंश या अंशों को जब्त कर लिया जाएगा, जिनके संबंध में रकम शोध्य थी और मांग की गई है ।

(4) यदि अंशधारक या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे जब्ती की सूचना की तामील की गई है, उसका पालन नहीं करता है, तो उन अंशों को, जिनके संबंध में जब्ती की सूचना दी गई थी, भुगतान के लिए नियत तारीख के पश्चात् किसी भी समय केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति के संकल्प के अनुसार जब्त कर लिया जाएगा और ऐसी जब्ती में जब्त किए गए अंशों से संबंधित सभी असंदत्त लाभांश भी सम्मिलित होंगे ।

(5) इस प्रकार जब्त किए गए किसी अंश को भारतीय स्टेट बैंक की संपत्ति माना जाएगा और किसी भी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति से, जैसा केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए, विक्रय, पुन: आबंटन या उसका अन्यथा निपटान किया जा सकेगा ।

(6) भारतीय स्टेट बैंक अंशों के विक्रय, पुन: आबंटन या उसका अन्यथा निपटान किए जाने के लिए प्रतिफल प्राप्त कर सकेगा, यदि कोई हो, और उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा अंश विक्रय किया गया है, पुन: आबंटित किया गया है या अन्यथा निपटान किया गया है, अंशधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और वह प्रतिफल के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा न ही अंशों से संबंधित उसका हक अंश की जब्ती, विक्रय, पुन: आबंटन या उसके अन्यथा निपटान के संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया में हुई किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से प्रभावित होगा और विक्रय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति नुकसानी की दशा में केवल और अनन्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध दावा कर सकेगा।

(7) उप नियम **(4)** के अधीन इस प्रकार से ऐसे किसी भी अंश, जिनका विक्रय, पुन: आबंटन या उनका अन्यथा निपटान किया गया है, केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति किसी भी समय ऐसी शर्तों पर, जिसे वह उचित समझे, अंशों की जब्ती को रद्द कर सकती है ।

(8) कोई भी अंशधारक, जिसके अंशों को जब्त कर लिया गया है, ऐसी जब्ती के रहते हुए भी भारतीय स्टेट बैंक को सभी मांग की रकमों, किस्तों, व्ययों और अन्य रकमों, जो देय होती हैं या उक्त अंशों के संबंध में जब्ती के समय देय रही हों, जब्ती के समय से लेकर भुगतान करने के समय तक के लिए केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की गई दर के आधार पर ब्याज को जोड़कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और भारतीय स्टेट बैंक को उसका तत्काल भुगतान करेगा और केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति उसका संपूर्ण भुगतान करने या आंशिक रूप से भुगतान को प्रवर्तित करा सकेगी ।

(9) किसी भी अंश के संबंध में शोध्य रकम या अन्य रकम के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में न तो किसी निर्णय और न ही किसी डिक्री, न ही उसके अंतर्गत किसी भुगतान या तुष्टि के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसी रकम का कोई भाग, जो अंशधारक द्वारा समय-समय पर किसी भी अंश के संबंध में या तो मूल धन या ब्याज के रूप में देय है, प्राप्त करने से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसी रकम के भुगतान के संबंध में अनुग्रह प्रदान करने से इन विनियमों के अधीन उक्त अंशों की जब्ती प्रतिवारित नहीं होगी।

(10) इस आशय का एक लिखित प्रमाण पत्र, जिस पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, कि केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति के संकल्प के अनुसार जब्ती की गई थी, जो ऐसे अंशों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(11) जब उप विनियम **(4)** के अधीन किसी अंश को जब्त किया जाए, तो रजिस्टर में तारीख के साथ उक्त जब्ती से संबंधित प्रविष्टि की जाएगी ।

(12) किसी अंश की जब्ती के पश्चात् उस अंश की जब्ती के समय उक्त अंश से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध सभी हित और सभी दावे तथा मांगे, अंश और अंश के आनुषंगिक अन्य सभी अधिकारों के संबंध में, उन अधिकारों के सिवाए जिनको इन विनियमों के अधीन लिखित छूट प्रदान की गई है, समाप्त हो जाएंगे ।

(13) इन उप विनियमों के अनुसार जब्त किए गए अंशों के विक्रय, पुन: निर्गमन, उनका पुन: आबंटन या अन्य निपटान करने पर, संबंधित अंशों के संबंध में मूल रूप से जारी किए गए प्रमाणपत्र (जब तक उन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मांग किए जाने पर चूक करने वाले अंशधारक द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया है) निरस्त हो जाएंगे और अकृत तथा शून्य हो जाएंगे और कोई प्रभाव नहीं रखेंगे ।

(14) केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति, उक्त अंशों के संबंध में उनके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को एक नया प्रमाण पत्र या नए प्रमाण पत्र जारी करने की हकदार होगी।

(15) किसी अंश के संयुक्त अंशधारक अंश से संबंधित सभी मांग की रकमों का भुगतान करने के लिए संयुक्तत: और पृथकत: उत्तरदायी होंगे ।

(16) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी अंशधारक कोई लाभांश प्राप्त करने या अंशधारक के किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक उसने उस समय तक देय सभी मांग की रकमों का, जो उसके द्वारा धारित प्रत्येक अंश के संबंध में देय हो, चाहे वह एकल रूप में हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में हो, ऐसे ब्याज के साथ जोड़कर, जिसे लगाया जा सकता हो या प्रभारित किया जा सकता हो, भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

(17) यदि किसी अंश को जारी किए जाने के निबंधनों या अन्यथा द्वारा कोई रकम किसी नियत समय पर या किस्तों के द्वारा नियत समय पर देय है, तो ऐसी प्रत्येक रकम या किस्त इस प्रकार से होगी मानो केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा सम्यक् रूप से उसकी मांग की गई है और जिसके लिए सम्यक् रूप से सूचना दी गई हो।

(18)(क) भारतीय स्टेट बैंक का निम्नलिखित पर प्रथम और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार (लियन) होगा **:--**

(i) प्रत्येक अंश पर **(**पूर्णत: समादत्त अंश नहीं होने के कारण) उन सभी रकमों के लिए, जिनकी मांग की गई हो **(**चाहे वह देय हो या न हो) या उस अंश के संबंध में जो नियत समय पर देय होती है ;

(ii) सभी अंशों पर **(**पूर्णत: समादत्त अंश नहीं होने के कारण) जो किसी एकल व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रीकृत हों, उन सभी रकमों के लिए, जो उनके द्वारा या उनकी संपदा से भारतीय स्टेट बैंक को देय होती है ;

(iii) प्रत्येक व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रीकृत सभी अंशों पर **(**चाहे एकल रूप में हो या अन्य के साथ संयुक्त रूप में हो) जो **(**पूर्णत: समादत्त अंश नहीं होने के कारण) और भारतीय स्टेट बैंक के प्रति एकल या अन्य के साथ संयुक्त रूप से अपने ऋणों, दायित्वों और वचनबंधों के लिए उनके विक्रय के आगम की रकमों पर, चाहे उनका भुगतान करने या उसकी पूर्ति करने या उसे चुकाने का वास्तविक समय आया हो या नहीं, और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने ग्रहणाधिकार पर किसी अंश में किसी प्रकार का कोई सामयिक हित मान्य नहीं किया जाएगा **:**

परंतु केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा किसी अंश के पूर्णत: या भागत: इस खंड के उपबंधों के अधीन छूट देने की किसी भी समय घोषणा की जा सकेगी ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक का किसी अंश पर भागत: ग्रहणाधिकार, यदि कोई हो, उस पर देय सभी लाभांशों पर विस्तारित होगा।

(19)(क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसी ऐसे अंश का, जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है, ऐसी रीति से, जो केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति उचित समझे, विक्रय किया जा सकेगा,**--**

(i) यदि कोई ऐसी रकम, जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार विद्यमान है, देय होती है**;** और

(ii) तत्समय रजिस्ट्रीकृत अंशधारक को या उसकी मृत्यु हो जाने या दिवालिया हो जाने के कारण उस अंश के, जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार विद्यमान है, हकदार व्यक्ति को उस रकम का भुगतान करने के लिए लिखित नोटिस दिया गया हो और ऐसा नोटिस भेजने के पश्चात् चौदह दिन की अवधि समाप्त हो गई हो।

(ख) उपरोक्तानुसार किसी विक्रय को प्रभाव देने के लिए, केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा अंशों के क्रेता को विक्रय किए गए अंशों को अंतरित करने के लिए किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(20) उपविनियम **(19)** के अधीन अंशों, जिस पर ग्रहणाधिकार लागू है, के किसी प्रकार के विक्रय से प्राप्त कुल रकम को ऐसी विक्रय से संबंधित खर्चों की कटौती करने के पश्चात्, ऐसे ऋण या देयता को पूरा करने के लिए उपयोजन में लिया जाएगा और अवशेष रकम, यदि कोई हो, को अंशधारक को इस प्रकार विक्रय किए गए अंशों के पारेषण द्वारा हकदार व्यक्ति को, यदि कोई हो, भुगतान किया जाएगा।

(21)(क) भारतीय स्टेट बैंक किसी भी अंशधारक को व्यक्तिगत रूप से या साधारण डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर और यदि भारत में उसका रजिस्ट्रीकृत पता न हो, तो उसके द्वारा स्टेट बैंक को दिए गए किसी अन्य पते पर सूचना या दस्तावेज को शेयरधारक को भेजा जा सकेगा ;

(ख) जहां अंशधारक को कोई सूचना या दस्तावेज डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है, वहां यह माना जाएगा कि उसे उचित रूप से, अर्थात् सही पते पर, डाक खर्च की पूर्व अदायगी करके उस सूचना या दस्तावेज को प्रेषित किया गया है**:**

परंतु जहां अंशधारक ने स्टेट बैंक को यह अग्रिम सूचना दी है कि दस्तावेजों को देय पावती के साथ या बिना पावती के रजिस्ट्रीकृत डाक या कूरियर सेवा द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यम से उसे भेजा जाए और ऐसा करने के लिए

व्ययों को चुकाने के लिए पर्याप्त रकम स्टेट बैंक में जमा की जाएगी, ऐसे दस्तावेज और सूचना को भेजा गया नहीं माना जाएगा जब तक उसे अंशधारक द्वारा सूचित की गई रीति में नहीं भेजा गया है :

परंतु यह और कि डाक द्वारा भेजी गई किसी सूचना को उसे उस लिफाफे या रैपर को, जिसमें वह रखी गई हो, डाक में डालने की तारीख से अनुगामी तीसरे दिन भेजा गया माना जाएगा और उसके भेजे जाने के साक्ष्य के रूप में यह साबित करना पर्याप्त है कि लिफाफे या रैपर, जिसमें वह सूचना है, सम्यक् रूप से पता लिखा हुआ, पूर्व भुगतान करके और डाक में डाला गया है और स्टेट बैंक के कर्मचारी द्वारा एक लिखित व हस्ताक्षरित इस बात का प्रमाणपत्र, कि लिफाफा या रैपर, जिसमें सूचना थी, सम्यक् रूप से पता लिखा हुआ, पूर्व भुगतान करके और डाक में डाला गया था, और किसी भी अन्य दशा में, वह समय, जब पत्र को सामान्य अनुक्रम में परिदत्त किया गया हो, निश्चायक साक्ष्य होगा ;

(ग) भारत में व्यापक रूप से परिचालन रखने वाले किसी समाचार पत्र में विज्ञापित किसी सूचना या दस्तावेज को, स्टेट बैंक के प्रत्येक अंशधारक, जिनका भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत पता न हो, और जिसने सूचना देने के लिए स्टेट बैंक को भारत का कोई पता उपलब्ध न कराया हो, ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख, सम्यक् रूप से सूचना देने की तारीख मानी जाएगी;

(घ) स्टेट बैंक द्वारा किसी शेयर के ऐसे संयुक्त अंशधारक को, जिसका नाम रजिस्टर में पहले रजिस्ट्रीकृत है, कोई सूचना या दस्तावेज सूचना भेजकर दी जा सकेगी और इस प्रकार दी गई सूचना सभी अंशधारकों के लिए पर्याप्त सूचना मानी जाएगी ;

(ङ) स्टेट बैंक द्वारा, किसी अंशधारक की मृत्यु या उसके दिवालिया होने की स्थिति में उसके नाम से या मृतक के प्रतिनिधि या दिवालिया अंशधारक के समनुदेशिती या ऐसी हकदारी का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को बैंक को भारत में दिए गए किसी पते पर डाक खर्च की पूर्व भुगतान करके कोई सूचना या दस्तावेज को भेजा जा सकता है या ऐसा पता नहीं दिए जाने पर दस्तावेजों को उसी प्रकार से भेजा जाएगा, जिस प्रकार से अंशधारक की मृत्यु न होने या उसके दिवालिया न होने की स्थिति में बैंक द्वारा भेजा जाता है ;

(च) स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली किसी सूचना पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित होंगे ।"।

4. मूल विनियम के विनियम **7** में, **"**अंशों के अंतरण**"** शब्दों के पश्चात्, **"**और नामांकन करने के अधिकार**"** शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

5. मूल विनियम के विनियम **9** के उपविनियम **(2)** में, **"**अपेक्षित भाग के लिए दो रुपए प्रति सौ शब्द की दर से पूर्व संदाय करके**"** शब्दों के स्थान पर, **"**केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा समय-समय पर विनिश्चय की गई दरों के अनुसार प्रभारों का भुगतान करके**"** शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल विनियम के विनियम **16** के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् **:--**

16क. अंशधारक द्वारा नामांकन करने की रीति**--(1)** प्रत्येक एकल अंशधारक या सह संयुक्त अंशधारक द्वारा, जहां अंश एक या अधिक व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्रीकृत है, किए जाना वाला नामांकन इन विनियमों की अनुसूची **1** में दिए गए प्ररूप **'**क**'** में किया जाएगा ।

(2) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां, यथास्थिति, अंशधारक या सभी संयुक्त अंशधारक एक साथ, एक ऐसे व्यक्ति का नाम और पता प्रस्तुत कर सकते हैं, जो अवयस्क न हो और नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान, यथास्थिति, अंशधारक या सभी संयुक्त अंशधारकों की मृत्यु की दशा में अंशधारक के रूप में उसका एकल नाम रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(3) नामनिर्देशिती कोई व्यक्ति होगा और निगमित निकाय, न्यास, सोसाइटी, साझेदारी फर्म और हिंदू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के पक्ष में नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(4) अंशधारक (अंशधारकों) के जीवनकाल के दौरान अंशों का अंतरण करने पर नामांकन विखंडित हो जाएगा ।

(5) अंशधारक या सभी संयुक्त अंशधारक मिलकर किसी भी समय नामांकन को रद्द कर सकते हैं या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और किसी व्यक्ति के पक्ष में नया नामांकन निष्पादित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझे ।

(6) किसी व्यक्तिगत अंशधारक या सभी संयुक्त अंशधारकों द्वारा मिलकर नामांकन में परिवर्तन या निरस्तीकरण इन विनियमों की अनुसूची **1** में दिए गए प्ररूप **'ख'** में होगा ।

(7) उपरोक्तानुसार, यथास्थिति, नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन, ऐसा निरस्तीकरण या परिवर्तन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उस दौरान, जब उनके द्वारा अंशधारण किया हुआ है, किसी भी समय किया जा सकता है ।

(8) जहां एक या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से अंशों को धारण किया हुआ है, वहां नामांकन का निरस्तीकरण या परिवर्तन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक नामांकन में निरस्तीकरण या परिवर्तन के समय सभी उत्तरजीवी अंशधारकों द्वारा नामांकन का निरस्तीकरण या परिवर्तन नहीं किया गया हो।

(9) यथास्थिति, नामांकन निरस्त करने या नामांकन में परिवर्तन करने संबंधी फार्म को सम्यक् रूप से फाइल किए जाने की पावती स्टेट बैंक लिखित में देगा ।

(10) नामांकन या नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन को स्टेट बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(11) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अंश को डीमैट खाते में एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से धारण किए जाने के संबंध में सुसंगत उपबंधों के अनुसार ऐसे डीमैट खाते में रजिस्ट्रीकृत किसी विधिमान्य नामांकन को ऐसे अंशों के संबंध में विधिमान्य नामांकन समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—किसी व्यक्ति द्वारा भौतिक रूप से धारित अंशों के संबंध में कोई नामांकन ऐसे अंशों के डीमैट स्वरूप में परिवर्तन पर निरस्त समझा जाएगा और उसी प्रकार, डीमैट स्वरूप से भौतिक रूप में परिवर्तित किए गए अंशों के संबंध में किसी डीमैट खाते का कोई नामांकन विधिमान्य नहीं होगा ।

16ख. नामांकन की दशा में अंशों का पारेषण— **(1)** यथास्थिति, किसी अंशधारक की मृत्यु होने पर या सभी अंशधारकों की मृत्यु होने पर, कोई भी व्यक्ति, जो विधिमान्य नामांकन के कारण अंशों के लिए हकदार है, केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा की गई अपेक्षानुसार ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किए गए विषय के अधीन रहते हुए,—

(क) स्वयं को अंशधारक के रूंप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने ; या

(ख) अंश का इस प्रकार, जैसा मृतक अंशधारक कर सकता था, अंतरण करने, का चयन कर सकेगा ।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो उप विनियम **(1)** के अधीन अंश के अंतरण का हकदार है और अंशधारक के रूंप में रजिस्ट्रीकृत होने का चयन करता है, स्टेट बैंक को यह कथन करते हुए कि अंशधारक ने ऐसा चयन कर लिया है, अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित सूचना भेजेगा या सुपुर्द करेगा, जिसके साथ, यथास्थिति, मृतक अंशधारक का या संयुक्त मृतक अंशधारकों के मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न होगा या होंगे ।

(3) उप विनियम **(2)** के अधीन केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा सूचना या अन्य दस्तावेज (दस्तावेजों) के प्राप्त होने पर, केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति, ऐसी जांच करने और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंशों को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी, जो मृतक अंशधारक द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार अंशों के लिए हकदार है।

(4) अंशों के अंतरण के अधिकार और अंशों के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और इन विनियमों या अधिनियम के उपबंध, उपरोक्त ऐसी किसी सूचना या अंतरण को इस प्रकार लागू होंगे मानो अंशधारक की मृत्यु न हुई हो और सूचना या अंतरण उस अंशधारक द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे ।

(5) कोई व्यक्ति, जो उप विनियम **(1)** के अधीन अंशों के लिए हकदार है, लाभांश और अन्य फायदों के लिए इस प्रकार से हकदार होगा, मानो वह अंश का रजिस्ट्रीकृत अंशधारक रहा है, परंतु वह अपने अंशों के संबंध में अंशधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के पूर्व, अंशधारकों के अधिवेशन में उसके संबंध में मत देने के अधिकार के प्रयोग का हकदार नहीं होगा :

परंतु केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति, किसी भी समय ऐसे व्यक्ति से स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश के अंतरण के चयन किए जाने की सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, और यदि सूचना साठ दिनों के भीतर नहीं दी जाती है, तो केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति उस सूचना की अपेक्षाओं का पालन नहीं किए जाने तक सभी लाभांश, बोनस या अंश के संबंध में देय अन्य राशि के भुगतान को रोक सकती है।

7. मूल विनियम के विनियम **19** में, उप विनियम **(1)** के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –

"परंतु यह और कि इस उपविनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जो विधिमान्य नामांकन के कारण अंशों के लिए हकदार है।**"** ।

8. मूल विनियम के विनियम **20**क के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : –

20क. केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन-- केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति, विनियम **12** के उपविनियम **(3)**, विनियम **13**, विनियम **15** के उपविनियम **(3)**, विनियम **16** के उपविनियम **(1)**, विनियम **16**ख के उपविनियम **(3)** और विनियम **19** के उपविनियम **(2)** में उपवर्णित शक्तियों और कृत्यों को, साधारण या विशेष निदेश द्वारा, समय-समय पर, किसी अधिकारी, कंपनी या अभिकरण को प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम होगी और केंद्रीय बोर्ड और उसकी कार्यपालिका समिति, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सुसंगत विनियमों में यथा परिभाषित **"**निर्गम रजिस्ट्रार**"** और **"**अंश अंतरण अभिकर्ता**"**, ऐसे निबंधनों पर, जो वह उचित समझे, नियुक्त करने के लिए भी सक्षम होगी ।**"** ।

9. मूल विनियम के विनियम **20**ख में, **"**प्रबंध निदेशक**"** शब्दों के स्थान पर, **"**अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक**"** शब्द रखे जाएंगे ।

10. मूल विनियम के विनियम **20**ग में, **"**प्रबंध निदेशक**"** शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां पर वे आते हैं, **"**अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक**"** शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल विनियम के विनियम **20**घ में, **"**प्रबंध निदेशक**"** शब्दों के स्थान पर, **"**अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक**"** शब्द रखे जाएंगे ।

12. मूल विनियम के विनियम **21** के उपविनियम **(1)** में, या उपाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में **"**प्रबंध निदेशक**"** शब्दों के स्थान पर, **"**अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक**"** शब्द रखे जाएंगे ।

13. मूल विनियम के विनियम **22** के उपविनियम **(1)** में, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में **"**प्रबंध निदेशक**"** शब्दों के स्थान पर, या उसकी अनुपस्थिति में **"**अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक**"** शब्द रखे जाएंगे ।

14. मूल विनियम के विनियम **25** के उपविनियम **(1)** में, **"**उपाध्यक्ष**"** शब्द के स्थान पर, जहां-जहां पर वह आता है, **"**अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक**"** शब्द रखे जाएंगे ।

15. मूल विनियम के विनियम **30** का लोप किया जाएगा ।

16. मूल विनियम के विनियम **34** के उपविनियम **(1)** के परंतुक के हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

17. मूल विनियम के विनियम **36** का लोप किया जाएगा ।

18. मूल विनियम के विनियम **40** के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् **:–**

"40. अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.**–** (**1**) किसी निदेशक के निर्वाचन की दशा में, अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक, नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के पश्चात् के प्रथम कार्य-दिवस को, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, विनियम **39** के उपबंधों के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी के नामांकन को स्वीकार या अस्वीकार, जैसा उसे न्यायोचित प्रतीत हो, करेगा और अस्वीकृति की दशा में, वह ऐसा करने के कारणों को संक्षिप्त में लेखबद्ध करेगा ।

(2) अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक का इस बारे में विनिश्चय, कि कोई नामांकन विधिमान्य है या अविधिमान्य, विनियम **42** के अधीन किसी निर्देश के पारिणाम के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।

(3) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली किसी रिक्ति के संबंध में केवल एक विधिमान्य नामांकन है, तो ऐसी रिक्ति के लिए विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थी तुरंत निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार निर्वाचित अभ्यर्थी के रूप में प्रकाशित किया जाएगा तथा ऐसी अवस्था में इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए अधिवेशन में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि अधिवेशन केवल उपर्युक्त निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बुलाया गया है तो वह रद्द हो जाएगा ।

(4) यदि किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए विधिमान्य नामांकनों की संख्या एक से अधिक है, तो अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक, ऐसी रिक्ति के लिए विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थियों के नाम और पते प्रकाशित कराएगा और ऐसी अवस्था में इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए अधिवेशन में निर्वाचन मतपत्र द्वारा होगा, न कि हाथ उठाकर ।

(5) उपविनियम **(3)** और उपविनियम **(4)** के अनुसरण में सभी सूचनाएं भारत के राजपत्र में और भारत में व्यापक रूप से प्रचालित दो से अन्यून समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी ।

(6) अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक, उसके द्वारा जारी प्रत्येक सूचना की एक प्रति अध्यक्ष को भेजेगा ।**"** ।

19. मूल विनियम के विनियम **42** के उपविनियम **(1)** और उपविनियम **(2)** में, या **"**उपाध्यक्ष**"** शब्दों का लोप किया जाएगा ।

20. मूल विनियम के विनियम **44** के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् **:–**

"44. केंद्रीय बोर्ड का अधिवेशन.**–(1)** केंद्रीय बोर्ड का अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा, या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक द्वारा, प्रत्येक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बुलाया जाएगा ।

(2) किसी भी समय, कोई भी तीन निदेशक अध्यक्ष से केंद्रीय बोर्ड का अधिवेशन बुलाने की मांग कर सकेंगे और अध्यक्ष, ऐसी मांग प्राप्त होने पर, पर्याप्त सूचना देते हुए केंद्रीय बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा, परंतु इस प्रकार बुलाए गए अधिवेशन की तारीख, मांग प्राप्त होने की तारीख से **21** दिन के पश्चात् की नहीं होगी ।

(3) केंद्रीय बोर्ड का अधिवेशन स्टेट बैंक के मुख्य कार्यालय पर या ऐसे अन्य स्थान पर होगा, जिसका अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(4) केंद्रीय बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन के लिए साधारणतया पन्द्रह दिन से अन्यून की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना प्रत्येक निदेशक को उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और यदि आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक समझा जाता है, तो भारत में प्रत्येक निदेशक को, उसे उसमें उपस्थित होने में सक्षम बनाने के लिए, पर्याप्त सूचना भेजी जाएगी ।

(5) केंद्रीय बोर्ड के अधिवेशन में, अध्यक्ष और उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के सिवाय, जिस कारबार के लिए अधिवेशन बुलाया गया था, उसके सिवाए किसी अन्य विषय पर विचार-विमर्श नहीं होगा, जब तक कि उसकी एक सप्ताह की सूचना लिखित रूप में अध्यक्ष को न दे दी गई हो।

(6) कामकाज करने के लिए गणपूर्ति पांच निदेशकों से होगी, जिनमें से कम से कम तीन ऐसे निदेशक होंगे, जो अधिनियम की धारा **19** के खंड (ग) के अधीन निर्वाचित या उक्त धारा के खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित हुए हों ।

(7) केंद्रीय बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही की एक प्रति, उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निदेशकों की जानकारी के लिए परिचालित की जाएगी और उस पर उस अधिवेशन या उसके ठीक बाद के अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।" ।

21. मूल विनियम के विनियम **44** के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् **:–**

"44क. केंद्रीय बोर्ड के अधिवेशन में निदेशकों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग या अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यम से भागीदारी**–**केंद्रीय बोर्ड के किसी अधिवेशन में किसी निदेशक की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागीदारी तभी विधिमान्य होगी, यदि ऐसी भागीदारी केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्टेट बैंक के किसी कार्यालय से की जाती है ।" ।

22. मूल विनियम के विनियम **46** के उपविनियम **(1)** में, **"**उपाध्यक्ष**"** शब्द का लोप किया जाएगा ।

23. मूल विनियम के विनियम **47** के उपविनियम **(2)** के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् **:–**

"(2) कामकाज करने के लिए गणपूर्ति चार निदेशकों से होगी, जिनमें से कम से कम दो ऐसे निदेशक होंगे, जो अधिनियम की धारा **19** के खंड (ग) के अधीन निर्वाचित या उक्त धारा के खंड (घ) के अधीन नाम निर्देशित हुए हों **:**

परंतु जहां अधिनियम की धारा **31** की उपधारा **(3)** के साथ पठित उपविनियम **(4)** के उपबंधों के कारण कोई निदेशक, कार्यपालिका समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और मतदान करने में असमर्थ है या जब कार्यपालिका समिति द्वारा कोई विशिष्ट कामकाज किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप उपस्थित और मतदान करने के लिए अर्हित निदेशकों की संख्या चार से कम होती है, तो यथास्थिति, ऐसे अधिवेशन या उसका कामकाज करने के लिए गणपूर्ति तीन निदेशकों से होगी, जिनमें से कम से कम एक ऐसा निदेशक होगा, जो अधिनियम की धारा **19** के खंड(ग) के अधीन निर्वाचित या उक्त धारा के खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित हुए हों ।" ।

24. मूल विनियम के विनियम **47**क के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् **:–**

"47क. **(1)** स्थानीय प्रधान कार्यालयों की अधिकारिता--नीचे सारणी के स्तंभ **(2)** में विनिर्दिष्ट स्थानीय प्रधान कार्यालय की अधिकारिता, क्रमश: स्तंभ **(3)** में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रीय क्षेत्रों में आने वाली शाखाओं पर होगी।

सारणी

(1)	(2)	(3)
क्रम सं.	स्थानीय प्रधान कार्यालय	राज्यक्षेत्रीय क्षेत्र
1.	अहमदाबाद	गुजरात राज्य और दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र।
2.	बंगलौर	कर्नाटक राज्य।
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य।
4.	भुवनेश्वर	**उड़ीसा** राज्य।
5.	**चंडीगढ़**	हरियाणा (फरीदाबाद, **गुड़गांव** और सोनीपत जिलों को **छोड़कर**), हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्य तथा **चंडीगढ़** संघ राज्य क्षेत्र।
6.	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र (माहे और यनम को छोड़कर)।
7.	गुवाहटी	असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरूंणाचल प्रदेश राज्य।
8.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश राज्य और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के अधीन यनम।
9.	कोलकाता	पश्चिमी बंगाल और सिक्किम राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र।
10.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश राज्य के केंद्रीय और पूर्वी जोन, जो उपविनियम **(2)** के खंड (क) में विनिर्दिष्ट है।
11.	मुंबई	महाराष्ट्र और गोवा राज्य।
12.	नई दिल्ली	राजस्थान और उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य का पश्चिमी जोन, जो उपविनियम **(2)** के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट है, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, **गुड़गांव** और सोनीपत जिलें और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र।
13.	पटना	बिहार और झारखंड राज्य।
14.	तिरूअनन्तपुरम्	केरल राज्य, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में माहे।

(2) (क) उत्तर प्रदेश राज्य के केंद्रीय और पूर्वी जोन में उत्तर प्रदेश राज्य के वे सभी भाग सम्मिलित होंगे, जो नीचे खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी जोन में सम्मिलित नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी जोन में उस राज्य के निम्नलिखित जिले सम्मिलित होंगे, अर्थात् आगरा, अली**गढ़**, बुलंदशहर, इटावा, गाजियाबाद, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, हाथरस, बागपत और गौतमबुद्ध नगर ।"।

25. मूल विनियम के विनियम **56** के उपविनियम **(1)** में, **"**स्टेट बैंक के उपाध्यक्ष से, यदि उपाध्यक्ष ऐसे स्थानीय बोर्ड का सदस्य है, तो**"** शब्दों के स्थान पर, **"**प्रबंध निदेशक से, यदि प्रबंध निदेशक ऐसे स्थानीय बोर्ड का सदस्य है, तो**"** शब्द रखे जाएंगे ।

26. मूल विनियम के विनियम **58** के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् **:--**

"58. अध्याय **8** का अध्यक्ष को लागू न होना**--**इस अध्याय के उपबंध अध्यक्ष को लागू नहीं होंगे ।**"** ।

27. मूल विनियम के विनियम **61** के खंड **(**ग) में, **"**अनुसूची**"** शब्द के स्थान पर, **"**अनुसूची **2"** शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

28. मूल विनियम के विनियम **67** के खंड **(**क) में, **"**उपाध्यक्ष**"** शब्द का लोप किया जाएगा ।

29. मूल विनियम के विनियम **76** के उपविनियम **(1)** में, **"**उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक**"** शब्दों के स्थान पर, **"**प्रबंध निदेशक**"** शब्द रखे जाएंगे ।

30. मूल विनियम के विनियम **78** के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् **:--**

"78. प्रशासनिक और कर्मचारियों से संबंधित मामलों में प्रबंध निदेशकों का संयुक्त दायित्व**--**अध्यक्ष, जब कभी प्रबंध निदेशक पद ग्रहण किए हुए हों, यह प्रयत्न करेगा कि उनके बीच स्टेट बैंक के प्रशासनिक और कर्मचारिवृन्द से संबंधित मामलों में अधिकाधिक संयुक्त उत्तरदायित्व हो ।**"** ।

31. मूल विनियम के विनियम **80** में,**--**

(क) उपविनियम **(1)** में, **"**उपाध्यक्ष**"** शब्द का लोप किया जाएगा **;**

(ख) उपविनियम **(2)** में, **"**कलकत्ता, मद्रास और बुम्बई**"** शब्दों के स्थान पर, **"**मुम्बई, कोलकाता और चैन्नई**"** शब्द रखे जाएंगे ।

32. मूल विनियम के विनियम **83** के उपविनियम **(4)** के पश्चात्, निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् **:--**

"(4क) उपविनियम **(4)** में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्टेट बैंक इस अधिनियम या इन विनियमों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को लाभांश का संदाय, जो उसका हकदार है, या तो ऐसे व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे जमा करके या इलैक्ट्रानिक भुगतान पद्धति द्वारा या रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी अन्य रीति द्वारा किया जाएगा ।**"** ।

33. मूल विनियम की विद्यमान अनुसूची को **"**अनुसूची**—2"** के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित अनुसूची**--2** से पूर्व निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् **:--**

"अनुसूची**--1**

प्ररूप **'**क**'**

[विनियम **16**क का उपविनियम **(1)** देखिए]

नामांकन प्ररूप

(एकल या संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले व्यक्तियों के प्रत्येक फोलियो के लिए पृथक् रूप से नामांकन प्ररूप प्रस्तुत करना चाहिए)

मैं/हम ..... (1) और ..... (1) और ..... (1), भारतीय स्टेट बैंक के फोलियो संख्यांक के ..... (2) अधीन अंशधारक, नामांकन करने के इच्छुक है/हैं और मेरी मृत्यु/सभी संयुक्तधारकों की मृत्यु की दशा में, निम्नलिखित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करता हूं/करते हैं, जिसे उपरोक्त फोलियो संख्यांक के अधीन धारित शेयरों के संबंध में सभी अधिकारों का अंतरण हो जाएगा और/या देय रकम निहित हो जाएगी।

नामनिर्देशिती का नाम और पता

नाम (3) .....

पता (4) .....

.....

जन्म तिथि* । .....

[* नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में दिया जाए]

**नामनिर्देशिती अवयस्क है, जिसका संरक्षक है :

नाम (5).....

और पता.....

.....

.....

(**यदि लागू न हो तो काट दिया जाए।)

अंशधारक के हस्ताक्षर .....

(प्रथम/एकल धारक)

नाम .....

और पता.....

.....

.....

तारीख .....

अंशधारक के हस्ताक्षर (दूसरा धारक) .....

नाम .....

और पता.....

.....

.....

तारीख .....

अंशधारक के हस्ताक्षर (तीसरा धारक) .....

नाम .....

और पता.....

.....

.....

तारीख .....

दो साक्षियों का नाम, हस्ताक्षर और पता

पहले साक्षी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता.....

.....

.....

तारीख .....

दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता.....

.....

.....

तारीख .....

(1) अंशधारक (अंशधारकों) का नाम

(2) फोलियो संख्यांक

(3) नामनिर्देशिती का पूरा नाम बड़े अक्षरों में

(4) नामनिर्देशिती का पूरा स्थायी पता

(5) अवयस्क के संरक्षक का नाम और पता

प्ररूप 'ख'

[विनियम **16**क का उपविनियम **(6)** देखिए]

नामांकन में परिवर्तन या नामांकन रद्द करने का प्ररूप

मैं/हम ..... (1) और ..... (1) और ..... (1), भारतीय स्टेट बैंक के फोलियो संख्यांक के ..... (2) अधीन अंशधारक, नामांकन रद्द करने के इच्छुक है/हैं और मेरे/हमारे द्वारा ..... (3). के पक्ष में किए गए नामांकन को रद्द करते है/हैं और मेरी मृत्यु/सभी संयुक्तधारकों की मृत्यु की दशा में, निम्नलिखित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करता हूं/करते हैं, जिसे उपरोक्त फोलियो संख्यांक के अधीन धारित शेयरों के संबंध में सभी अधिकारों का अंतरण हो जाएगा और/या देय रकम निहित हो जाएगी ।

नामनिर्देशिती का नाम और पता

नाम (4) .....

पता (5) .....

.....

जन्म तिथि* .....

[*नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में दिया जाए]

**नामनिर्देशिती अवयस्क है, जिसका संरक्षक है :

नाम (6).....

और पता.....

.....

.....

(**यदि लागू न हो तो काट दिया जाए ।)

अंशधारक के हस्ताक्षर .....

(प्रथम/एकल धारक)

नाम .....

और पता.....

.....

.....

तारीख .....

अंशधारक के हस्ताक्षर (दूसरा धारक) .....

नाम .....

और पता.....

.....

.....

तारीख .....

अंशधारक के हस्ताक्षर (तीसरा धारक) .....

नाम .....

और पता .....

.....

.....

तारीख .....

दो साक्षियों का नाम, हस्ताक्षर और पता

पहले साक्षी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता.....

.....

.....

तारीख .....

दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

.....

.....

तारीख .....

(1) अंशधारक **(**अंशधारकों) का नाम

(2) फोलियो संख्यांक

(3) पूर्ववर्ती नामनिर्देशिती का पूरा नाम

(4) नए नामनिर्देशिती का पूरा नाम **बड़े** अक्षरों में

(5) नामनिर्देशिती का पूरा स्थायी पता

(6) अवयस्क के संरक्षक का नाम और पता

डॉ. जीबेन्दु नारायण मिश्र, उप प्रबंध निदेशक और

कारपोरेट विकास अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./38/13]

टिप्पणी : -- भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, **1955,** सबसे पहले रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, **1955** की धारा **50** की उपधारा **(3)** के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **1,** खंड **1,** पृष्ठ **357,** तारीख **31** जून, **1955** में प्रकाशित अधिसूचना सं. डी.बी.डी. **1246/**एस.बी.**15-55** द्वारा बनाए गए थे और अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **3,** खंड **4,** पृष्ठ **1593** तारीख **17** मई, **2008** में प्रकाशित अधिसूचना सं. **45- 6** नवंबर, **1999** द्वारा संशोधित किए गए थे ।

STATE BANK OF INDIA

[Central (Corporate) Office, Mumbai]

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd March, 2014

F. No. LAW/F-207/2013.—In exercise of the powers conferred by section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board, after consultation with the Reserve Bank and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the State Bank of India General Regulations, 1955, namely:-

1. (1)These regulations may be called the State Bank of IndiaGeneral (Amendment) Regulations, 2013.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the State Bank of India General Regulations, 1955 (hereinafter referred to as the principal regulation), -

(i) after sub-clause (a), the following shall be inserted, namely : —

'(aa) "Company" means a company as defined in section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or a body corporate incorporated under any other law for the time being in force, and unless there is anything repugnant in the subject or context, includes a Co-operative Society;';

(ii) after sub-clause (b), the following shall be inserted, namely :—

'(c) "SEBI" means Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(d) "SEBI regulation" means any regulations or guidelines made or issued by the SEBI in accordance with the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).'.

3. In the principal regulation, after regulation 3, the following regulations shall be inserted, namely:-

"3A. Share Capital.– (1) The share capital of the State Bank shallconsist of equity share capitalor equity and preference share capital.

(2) Equity share capital is that part of share capital, which is not preference share capital.

(3) Preference share capitalis that part of share capital which fulfils the following conditions namely:–

(a) that as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate or floating rate, which may be either free of or subject to income-tax; and

(b) that as respect capital, it carries or will carry, on winding up, to repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely:-

(i) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (a) up to the date of winding up or repayment of capital, and

(ii) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Central Board or its Executive Committee with the previous sanction of the Central Government.

3B. Procedure for increasing issued capital by the issue of equity or preference shares.– The issued capital may be increased in accordance with the procedure, determined by the Central Board with due reference to the relevant SEBI regulation in respect of issue of capital:

Provided that the issue of preference shares shall be in accordance with the guidelines framed by the Reserve Bank.

3C. Manner of accepting money for issued capital, forfeiture and reissue of shares.– (1) The Central Board or its Executive Committee may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all monies remaining unpaid on the shares held by them whether on account of nominal value of shares or by way of premium, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, by giving not less than fourteen days notice for payment thereof and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him at the time and place appointed by the Central Board or its Executive Committee or on such subsequent date as may be fixed by the Central Board or its Executive Committee. A call may be made payable by instalments and shall date back to the time when the resolution of the Central Board or its Executive Committee authorising such call was passed:

Provided that before the time fixed for payment of such call the Central Board or its Executive Committee may by notice in writing to the shareholder extend the time fixed for the payment or revoke the notice of call.

(2) If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call has been made or the instalment is due, shall pay interest on such sum at such rate as the Central Board or its Executive Committee may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Central Board or its Executive Committee may for reasons to be recorded in writing, waive wholly or in part, payment of such interest.

(3) (a) If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest up to the day appointed for the payment thereof, the State Bank may at any time thereafter, if the call or instalment or any part thereof or other monies remain unpaid in whole or in part, serve a notice

of forfeiture on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other monies which remain unpaid together with any interest that may have accrued due.

(b) A notice of forfeiture shall statea date not being less than fourteen days from the date of notice and the time and place at which such call or instalment or interest remaining unpaid are to be paid and in the event of non-payment of the amount due upto the date fixed for payment, the share or shares in respect of which the call was made and the amount was due, shall be liable to be forfeited.

(4) If the shareholder or any other person on whom a notice of forfeiture has been served fails to comply with the same, the shares in respect of which the notice of forfeiture was given, may at any time after the date fixed for payment may be forfeited by a resolution of the Central Board or its Executive Committee and such forfeiture shall include all unpaid dividends in respect of the forfeited shares.

(5) Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the State Bank and may be sold, re-allotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Central Board or its Executive Committee may decide.

(6) The State Bank may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, re-allotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, re-allotted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, re-allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the State Bank exclusively.

(7) The Central Board or its Executive Committee may, at any time, before any share so forfeited under sub-regulation (4), have been sold, re-allotted or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

(8) Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the State Bank all calls, instalments, expenses and other monies owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Central Board or its Executive Committee and the Central Board or its Executive Committee may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

(9) Neither a judgment nor a decree in favour of the State Bank for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the State Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the State Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.

(10) A certificate in writing signed by the person duly authorised by the State Bank, that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Central Board or its Executive Committee to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

(11) When any share has been forfeited under sub-regulation (4), an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

(12) The forfeiture of a share shall extinct, at the time of the forfeiture, all interest in and all claims and demands against the State Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights expressly waived by these regulations.

(13) Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal of forfeited shares in accordance with the sub-regulations, certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the State Bank have been previously surrendered to it by the defaulting shareholder) stand cancelled and become *null* and *void* and be of no effect.

(14) The Central Board or its Executive Committee shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

(15) The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

(16) Subject to other provisions of these regulations, no shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he has paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

(17) If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Central Board or its Executive Committee and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

(18) (a) The State Bank shall have a first and paramount lien, –

(i) on every share (not being a fully-paid share), for all monies (whether payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;

(ii) on all shares (not being fully-paid shares), standing registered in the name of a single person, for all monies payable by him or his estate to the State Bank;

(iii) upon all the shares (not being fully-paid shares) registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities, and engagements, solely or jointly with any other person to the State Bank, whether the period for the payment, fulfilment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the State Bank over its lien:

Provided that the Central Board or its Executive Committee may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from provisions of this clause.

(b) The State Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

(19) (a) The State Bank may sell, in such manner as the Central Board or its Executive Committee thinks fit, any shares on which the State Bank has a lien,-

(i) if a sum in respect of which the lien exists is payable; and

(ii) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(b) To give effect to any sale as above, the Central Board or its Executive Committee may authorise any officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

(20) The net proceeds of any sale of shares under sub-regulation (19) after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien was enforced so far as the same is payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission of the shares so sold.

(21) (a) The State Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the State Bank.

(b) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice:

Provided that where a shareholder has intimated to the State Bank in advance that documents should be sent to him by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode and has deposited

with the State Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder:

Provided further that any notice sent by post shall be deemed to have been served on the third day following that on which the envelope or wrapper containing the same is posted, and in proof of which service it shall be sufficient to prove that the envelop or wrapper containing the notice was properly addressed, pre-paid and put into post office, and a certificate in writing signed by an employee of the State Bank that the envelope or wrapper containing the notice was properly addressed, pre-paid and posted shall be conclusive evidence thereof and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course.

(c) A notice or a document advertised in a newspaper having wide circulation in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the State Bank who has no registered address in India and has not supplied to the State Bank an address within India for giving of notice to him;

(d) A notice or document may be served by the State Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares;

(e) A notice or a document may be served by the State Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred;

(f) The signature to any notice to be given by the State Bank may be written or printed.".

4.In the principal regulation, in regulation 7, after the words "except the transfer of the shares", the words "and right to make nomination" shall be inserted.

5. In the principal regulation, in regulation 9, in sub-regulation (2), for the words "on prepayment therefore at the rate of rupees two for every hundred words or fractional part thereof required to be copied", the words "on payment of charges at such rate as may be decided by the Central Board or its Executive Committee from time to time" shall be substituted.

6. In the principal regulation, after regulation 16, the followingregulations shall be inserted, namely:–

"16A. Manner of nomination by a shareholder.– (1)The nomination to be made by every individual shareholder or the joint holders together where the shares are registered in the name of more than one individual, shall be in Form A set out in Schedule - I to these regulations.

(2) Where the nominee is a minor, the shareholder or as the case may be, all the joint holders together, may furnish the name and address of another person who is not a minor whose name alone shall be registered as the shareholder in the event of the death of the shareholder or all the joint holders as the case may be, during the minority of the nominee.

(3) The nominee shall be an individual and nomination in favour of a body corporate, trust, society, partnership firm and *Karta* of Hindu Undivided Family shall not be accepted.

(4) The nomination shall stand rescinded upon transfer of shares during the lifetime of the shareholder(s).

(5) The shareholder or all the joint shareholders together may cancel or vary the nomination at any time and execute a fresh nomination in favour of any individual as deem fit.

(6) A variation or cancellation of the nomination by an individual shareholder or by all the joint shareholders together shall be in Form B set out in Schedule - I to these regulations.

(7) A cancellation of nomination or variation of nomination may be made as aforesaid at any time during which the shares are held by the person or persons making the cancellation or variation, as the case may be.

(8) Where the shares are held by more than one person jointly, the cancellation or variation of nomination shall not be valid unless it is made by all the shareholders surviving at the time of cancellation or variation of the nomination.

(9) The State Bank shall acknowledge in writing to the concerned shareholder the filing of duly completed form of nomination or cancellation of nomination or variation of nomination, as the case may be.

(10) A nomination or cancellation of nomination or variation of nomination shall be registered by the State Bank in the register kept for the purpose.

(11) Notwithstanding anything contained in these regulations, in respect of any shares held by a person individually or jointly with any other person in a demat account, any valid nomination registered in such demat account as per the relevant provisions shall alone be deemed as a valid nomination in respect of such shares.

Explanation: Any nomination in respect of shares held by a person in physical form shall be deemed to have been cancelled on conversion of such shares into dematerialised form and similarly any nomination in a demat account shall not be valid in respect of shares converted from demat form to physical form.

16B.Transmission of shares in case of nomination. – (1) On the death of the shareholder or on death of all the jointholders, as the case may be, any person who is entitled to the shares by virtue of a valid nomination, upon the production of such evidence as may be required by the Central Board or its Executive Committee and subject as hereinafter provided, elect, either –

(a) to be registered himself as holder of the share; or

(b) to make transfer of the share as the deceased shareholder could have made.

(2) Any person who is entitled to the share under sub-regulation (1) and elects to be registered as holder of the share shall deliver or send to the State Bank a notice in writing signed by him stating that he so elects and such notice shall be accompanied with the death certificate(s) of the deceased shareholder or joint shareholders, as the case may be.

(3) Upon receipt by the Central Board or its Executive Committee of the notice and other document(s) under sub-regulation (2), the Central Board or its Executive Committee may upon such enquiry and subject to such terms and conditions as it deems appropriate cause the shares to be registered in favour of such person who is entitled to the shares as per the nomination made by the deceased share holder.

(4) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations or Act relating to the right to transfer and the registration of transfer of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death of the shareholder had not occurred and the notice or transfer were signed by that shareholder.

(5) A person, who is entitled to the shares under sub-regulation (1) shall be entitled to the dividend and other advantages as if he were the registered holder of the share except that he shall not, before being registered as a shareholderin respect of his share, be entitled in respect of it to exercise any voting rights in the meetings of the shareholders:

Provided that the Central Board or its Executive Committee may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within sixty days, the Central Board or its Executive Committee may thereafter withhold payment of all dividends, bonus or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.".

7.In principal regulation, in regulation 19, insub-regulation (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided further that nothing contained in this sub-regulation shall affect the right of any person who is entitled to the shares on account of a valid nomination." .

8. In the principal regulation, for regulation 20A, the following regulation shall be substituted, namely:–

"20A. Delegation of powers and functions by Central Board or its Executive Committee.– It shall be competent for the Central Board or its Executive Committee by general or special direction, from time to time to delegate its powers and functions set out in sub-regulation (3) of regulation 12, regulation 13, sub-regulation (3) of regulation 15, sub-regulation (1) of regulation 16, sub-regulation (3) of regulation 16B and sub-regulation (2) of regulation 19 to any officer, company or agency and it shall also be competent for the Central Board or its Executive Committee to appoint "Registrars to an issue" and "Share transfer agents" as defined in the relevant SEBI regulation on such terms as it may deem fit."

9.In the principal regulation, in regulation 20B, for the words "managing director", the words "managing director authorized by the chairman" shall be substituted.

10.In the principal regulation, inregulation 20C, for the words "managing director" wherever itoccur, the words "managing director authorized by the chairman" shall be substituted.

11.In the principal regulation, in regulation 20D, for the words "managing director", the words "managing director authorized by the chairman" shall be substituted.

12.In the principal regulation, in regulation 21, in sub-regulation (1), for the words "or the vice-chairman or in their absence managing director", the words "or the managing director authorized by the chairman" shall be substituted.

13.In the principal regulation, in regulation 22, insub-regulation (1), for the words "or in his absence vice-chairman or in their absence managing director", the words "or in his absence managing director authorized by the chairman" shall be substituted.

14.In the principal regulation, in regulation 25, insub-regulation (1), forthe words "the vice-chairman" whereverit occur, the words "the managing director authorisedby the chairman" shall be substituted.

15. In the principal regulation, regulation 30 shall be omitted.

16. In the principal regulation, in regulation 34, in sub-regulation (1), in the proviso, for the words "an Officer of or the State Bank", the words "an officer of the State Bank" shall be substituted.

17. In the principal regulation, regulation 36 shall be omitted.

18. In the principal regulation, for regulation 40, the following regulation shall be substituted, namely:–

"40. Publication of list of candidates.– (1) In the case of election of a director, on the first working day following the last date fixed for the receipt of nominations, the managing director authorised by the chairman, shall after such enquiry, as he thinks necessary, satisfy himself in regard to the provisions of regulation 39, and shall accept or reject the nomination of each candidate as may appear to him to be justified, and, in the case of rejection shall briefly record his reasons for so doing.

(2) The decision of the managing director authorised by the chairman that a nomination is valid or invalid shall subject to the result of any reference under regulation 42 be final.

(3) If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate validly nominated for such vacancy shall be deemed to be elected forth with and his name and address shall be published as so elected and in such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

(4) If the number of valid nominations for any particular vacancy exceeds one, the managing director authorised by the chairman shall cause to be published the names and addresses of candidates validly nominated for such vacancy and in such an event there shall be an election by ballot and not by show of hands at the meeting convened for the purpose.

(5) All notices in pursuance of sub-regulation (3) and (4) shall be published in the Gazette of India and in not less than two newspapers having wide circulation in India.

(6) The managing director authorised by the chairman shall send a copy of every such notice issued by him to the chairman.".

19. In the principal regulation, in regulation 42, in sub-regulations (1) and (2), the words "or to the vice-chairman" shall be omitted.

20. In the principal regulation, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely:-

"44. Meetings of the Central Board.– (1) Meetings of the Central Board shall be convened by the chairman or in his absence, by the managing director authorised by the chairman at least six times in each year and at least once in each quarter.

(2) Any three directors may require the chairman to convene a meeting of the Central Board at any time, and the chairman shall, on receipt of the requisition, convene a meeting of the Central Board giving sufficient notice, provided that the date of the meeting so convened shall not be later than 21 days from the date of receipt of the requisition.

(3) Meetings of the Central Board shall be held at the Central Office of the State Bank, or at such other place as the chairman, or in his absence, the managing director authorised by the chairman may decide.

(4) Ordinarily not less than 15 days' notice shall be given of each meeting of the Central Board, and such notice shall be sent to every director at his registered address and if it is found necessary to convene an emergency meeting, sufficient notice shall be given to every director in India to enable him to attend.

(5) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at a meeting of the Central Board except with the consent of the chairman and a majority of the directors present unless one weeks' notice has been given of the same in writing to the chairman.

(6) Five directors of whom not less than three shall be the directors elected under clause (c) of section 19 of the Act or nominated under clause (d) of the said section shall form a quorum for the transaction of business.

(7) A copy of the proceedings of each Central Board meeting shall be circulated as soon as possible thereafter for the information of the directors, and shall be signed by the chairman of that or the next succeeding meeting.".

21. In the principal regulation, after regulation 44, the following regulation shall be inserted, namely:-

"44A. Participation of the directors in the meeting of the Central Board through videoconferencing or other electronic means. – Participation of a director in a meeting of the Central Board through videoconferencing shall be valid only if such participation is made from any office of the State Bank specified by the Central Board.".

22. In the principal regulation, in regulation 46, in sub-regulation (1), the words "vice-chairman," shall be omitted.

23. In the principal regulation, inregulation 47, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Four directors of whom not less than two shall be the directors elected under clause (c) of section 19 of the Act or nominated under clause (d) of the said section shall form a quorum for transaction of business:

Provided that where, by reason of the provisions of sub-regulation (4) read with sub-section (3) of section 31 of the Act, any director is unable to be present and vote at a meeting of the Executive Committee, or while some particular business is being transacted by the Executive Committee, and in consequence thereof the number of directors present and eligible to vote is less than four, the quorum for such meeting or, as the case may be, for the transaction of that business

shall be three of whom one shall be a director elected under clause (c) of section 19 of the Act or nominated under clause (d)of the said section.".

24. In the principal regulation, for regulation 47A, the following regulation shall be substituted, namely:–

"47A. Jurisdiction of local head offices. – (1)Local head offices specified in column (2) of the Table below shall have jurisdiction over the branches falling within the territorial areas respectively specified in column (3).

TABLE

(1)	(2)	(3)
Sl. No.	Local head office	Territorial Areas
1.	Ahmedabad	The State of Gujarat and the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
2.	Bangalore	The State of Karnataka.
3.	Bhopal	The State of Madhya Pradesh and Chattisgarh.
4.	Bhubaneshwar	The State of Odisha.
5.	Chandigarh	The States of Haryana (excluding the Districts of Faridabad, Gurgaon and Sonepat), Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab and the Union territory of Chandigarh.
6.	Chennai	The State of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry (excluding Mahe and Yanam).
7.	Guwahati	The States of Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Arunachal Pradesh.
8.	Hyderabad	The State of Andhra Pradesh and Yanam under the Union territory of Puducherry.
9.	Kolkata	The States of West Bengal and Sikkim and the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands.
10.	Lucknow	The Central and Eastern Zones of the State of Uttar Pradesh as specified in clause (a) of sub-regulation (2).
11.	Mumbai	The States of Maharashtra and Goa.
12.	New Delhi	The States of Rajasthan and Uttarakhand, the Western Zone of the State of Uttar Pradesh as specified in clause (b) of sub-regulation (2), the districts of Faridabad, Gurgaon and Sonepat in the State of Haryana and the National Capital Territory of Delhi.
13.	Patna	The States of Bihar and Jharkhand.
14.	Thiruvananthapuram	The State of Kerala, the Union territory of Lakshadweep and Mahe in the Union territory of Puducherry.

(2) (a) The Central and Eastern Zones of the State of Uttar Pradesh shall consist of all that part of the State of Uttar Pradesh as has not been included in the Western Zone of that State as defined in clause (b) below.

(b) The Western Zone of the State of Uttar Pradesh shall consist of the following districts of that State, namely, Agra, Aligarh, Bulandshahar, Etah, Ghaziabad, Mainpuri, Mathura, Meerut, Muzaffar Nagar, Saharanpur, Firozabad, Hathras, Baghpat and Gautam Budhnagar. ".

25.In the principal regulation, in regulation 56, insub-regulation (1), for the words "the vice-chairman of the State Bank, if the vice-chairman is a member of such Local Board", the words "the managing director, if the managing director is a member of such Local Board" shall be substituted.

26. In the principal regulation, for regulation 58, the following regulation shall be substituted, namely:–

"58. Chapter VIII not to apply to chairman. – The provisions of this Chapter shall not apply to the chairman.".

27. In the principal regulation, in regulation 61, in clause (c),for the word "schedule", the word "Schedule –II" shall be substituted.

28. In the principal regulation, in regulation 67, in clause (a),the words "the vice-chairman" shall be omitted.

29. In the principal regulation, in regulation 76, insub-regulation (1),for the words "The vice-chairman, the managing directors", the words "The managing directors" shall be substituted.

30.In the principal regulation, for regulation 78,the following regulation shall be substituted, namely:–

"78. Joint responsibility of managing directors in administrative and staff matters.– The chairman shall, whenever, managing directors are in office, endeavour to promote as large a measure as possible of joint responsibility among them in administrative and staff matters of the State Bank." .

31. In the principal regulation, in regulation 80, –

(a) in sub-regulation (1), the words "vice-chairman" shall be omitted;

(b) in sub-regulation (2), for the words "Calcutta, Madras and Bombay", the words "Mumbai, Kolkata and Chennai" shall be substituted.

32. In the principal regulation, in regulation 83, after sub-regulation (4),the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(4A).Notwithstanding anything contained in sub-regulation (4), the State Bank may make payment of dividend to any person entitled thereto under the Act or these regulations, either by direct credit to the bank account of such person or by electronic payment system or by any other mode of electronic fund transfer recognised by the Reserve Bank."

33.In the principal regulation, the existing Schedule shall be re-numbered as "Schedule- II" and before the said Schedule as so re-numbered, the following Schedule shall be inserted, namely:—

"Schedule – I

Form 'A'
{See sub-regulation (1) of regulation 16A}

Nomination form

(Separate nomination form should be submitted for each folio by individual applying singly or jointly)

I/We.....(1) and .....(1) and .....(1) the holders of shares under Folio number .....(2) of State Bank of India wish to make a nomination and do hereby nominate the following person in whom all rights of transfer and / or amount payable in respect of the shares held under the aforesaid Folio No. shall vest in the event of my death / death of all joint holders.

Name and address of nominee
Name (3).....
Address (4): ….....
.....
Date of birth* :.....
[*To be furnished in case the nominee is a minor]

**The Nominee is a minor whose guardian is :

Name(5) .....
And Address .....
.....
.....
.....
.....
*(** To be deleted if not applicable)*

Signature of shareholder .....
(First/sole holder)
Name.....
Address.....
.....
.....
.....
.....
Date.....

Signature of shareholder (second holder) .....
Name.....
Address.....
.....
.....
.....
.....
Date.....

Signature of shareholder(third holder)……

Name.....

Address.....
.....
.....
.....
.....
Date.....

Name, signature and address of two witnesses

Signature of first witness .....
Name.....
Address.....
.....
.....
.....
.....
Date.....

Signature of second witness.....
Name.....
Address.....
.....
.....
.....
.....
Date.....

(1) Name of shareholder(s).
(2) Folio No.
(3) Full name of nominee in capital letters.
(4) Complete permanent address of nominee.
(5) Name and address of guardian of minor.

Form 'B'

{See sub-regulation (6) of regulation 16A}

Form for variation or cancellation of nomination

I/We.....(1) and.....(1) and .....(1) the holders of shares under Folio number .....(2) of State Bank of India wish to cancel the nomination and do hereby cancel the nomination made by me/us in favour of ----------(3) and nominate the following person in whom all rights of transfer and / or amount payable in respect of shares held under the aforesaid Folio No. shall vest in the event of my death / death of all joint holders.

Name and address of nominee

Name (4): …….....

Address [5]: ….....
.....
.....

Date of birth* :.....

[*To be furnished in case the nominee is a minor]

** The Nominee is a minor whose guardian is :

Name[6].....

And Address .....
.....
.....
.....
.....

*(** To be deleted if not applicable)*

Signature of shareholder .....

(First/sole holder)

Name.....

Address.....
.....
.....
.....
.....

Date.....

Signature of shareholder (second holder) .....

Name.....

Address.....
.....
.....
.....
.....
Date.....

Signature of shareholder (third holder) .....

Name.....

Address.....
.....
.....
.....
.....

Date.....

Name, signature and address of two witnesses

Signature of first witness .....

Name.....

Address.....
.....
.....
.....
.....

Date.....

Signature of second witness .....

Name.....

Address.....
.....
.....
.....
.....
Date.....

(1) Name of shareholder(s).
(2) Folio No.
(3) Full name of the previous nominee.
(4) Full name of the new nominee in capital letters.
(5) Complete permanent address of new nominee.
(6) Name and address of guardian of minor.".

Dr. JIBENDU NARAYAN MISRA, Dy. Managing Director &
Corporate Development Officer

[ADVT III/4/Exty./38/13]

Note: – State Bank of India General Regulations, 1955 was first made by the Reserve Bank under sub-section (3) of section 50 of the State Bank of India Act, 1955 *vide* notification No.D.B.D.1246/S.B.15-55 published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, page 357 dated the 21st June 1955 and was lastly amended *vide* notification No.45-November 6,1999 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, page 1593 dated the 17th May 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.